

**Government of Chhattisgarh**  
**Department of Skill Development, Technical Education and Employment**  
**Mantralaya, Mahanadi Bhavan, Nawa Raipur Atal Nagar (CG)**

**Preamble**

The Start-up culture in India has been an ever-growing phenomenon, which has been gaining wide recognition as an engine of growth and employability. Through innovations and scalable technologies, Start-ups have the potential to generate impactful solutions and thereby act as vehicles of socio-economic developments thus transforming human lives. However, to inculcate a Start-up culture and a conducive environment for economic growth it is imperative to drive and nurture innovation ethos across the nation, permeating through all layers of society. In fact, from its early days, India has recognized the significance of innovation and reformation. The Constitution of India, under its fundamental duties states in Article 51 A (h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform; and (j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement.

As a Nation, India has been recognized as one of the fastest growing Start-up ecosystems in the world and emerging as the third largest Start-up hub across the globe. The Government of India has spent the past decade, in unleashing the creative potential of every citizen and inculcating the spirit of innovation and entrepreneurship in every stratum of the society. The Government of India started a host of initiatives such as Atal Innovation Mission (AIM), Start-up India, Stand-up India, amongst others directed towards empowering the youth and educational institutions of the country. To further strengthen this goal, the Government of India, has now shifted its primary focus on institutionalizing the Start-up ecosystem across the country by developing a systematic linkage amongst innovation, strategy, execution and market scaling. In this direction, the Government of India, has launched the National Innovation and Start-up Policy 2019 (NISP) that aims at empowering students with suitable toolkits which are necessary to establish a bridge from ideation to business development & market entry strategy. The National Education Policy (NEP) 2020 has given an ample thrust to harness the creative potential of youth across academia through innovation and entrepreneurship. The main objective of such initiatives is to cultivate and promote innovation mindset and entrepreneurial culture across the Nation.

The Chhattisgarh State has been receiving specific recognition in the innovation and Start-up sector, while becoming one of the pioneers in the country. The Technical Education Department of the State is planning to launch a unique policy for students known as Student Start-up and Innovation Policy (2025-2030) for a large pool of students across Universities and Institutes to develop and nurture their potential for innovation and entrepreneurship. This Policy is built on a student-centric perspective to support student innovators and involve different stakeholders.

The Student Start-up and Innovation Policy aims to promote innovations and Start-ups in the traditional and new age technology along with the sunrise sectors. The innovations in clean and green energy, climate change towards achieving India's pledge of net zero emissions by 2070 will be encouraged. Thrust areas like semi-conductors, robotics, electric vehicles, waste management, artificial intelligence, machine learning, Internet of Things, Block-chain will also be in focus. However, the Policy aims to support non-specific sector innovations and Start-ups.

The Technical Education Department is further strengthening the Policy and broadening its outreach such that a resilient end-to-end ecosystem is developed. The Policy establishes progressive linkages amongst innovation, execution, business development and market entry. The Policy will institutionalize a support mechanism that progressively facilitates students

through each stage of their entrepreneurial journey.

## **1. Student Start-up and Innovation Policy (SSIP):-**

### **1.1 Vision**

To Empower the young population of the State to unlock their creative potential through Start-up and Innovation so as to enable them to contribute for sustainable development and inclusive growth towards the realization of Aatmanirbhar Chhattisgarh.

### **1.2 Mission**

- 1.2.1 To create a student-centric innovation, incubation and startup ecosystem across academia.
- 1.2.2 To establish an Innovation and Start-up Ecosystem at all levels of education: Institutes and Universities.
- 1.2.3 To develop functional incubators at all universities in the State.
- 1.2.4 To scout and nurture innovation and Start-up across academia and enable them for maximum value creation for the industry, society and the State at large.
- 1.2.5 To build internal capacity of educational institutions and strengthen mentoring processes.
- 1.2.6 To promote Intellectual Property related awareness programs and develop mechanisms for filing and approvals of Intellectual Property (IP).
- 1.2.7 To develop an integrated mechanism of performance analysis by fixing predetermined Key Performance Indicators (KPIs).
- 1.2.8 To nurture the evolution of Chhattisgarh Start-up ecosystem across its various phases.

### **1.3 Goals and Objectives (For 5 Years)**

- 1.3.1 To sensitize and cover 50,000 students for innovation and entrepreneurship, covering at least 100 Technical Educational Institutions.
- 1.3.2 To support to 500 student-led Proof-of-Concepts (PoCs).
- 1.3.3 To assistance to 500 Intellectual Property (IP) filings.
- 1.3.4 To build capacity for at least 100 educational institutions and universities in the State, to have a robust pre incubation support system for beneficiaries.
- 1.3.5 To groom 150 student Start-ups/Innovators and upscale existing Start-ups.
- 1.3.6 To incubate 250 Start-ups/Innovators (physical and virtual) and provide Grant as Seed Support (Up to INR 10 Lakhs) to incubated startups.

### **1.4 Policy Period**

The period of the Policy will be from April 01, 2025 to March 31, 2030.

### **1.5 Eligibility Criteria for Individual Beneficiaries**

Any person in Chhattisgarh up to the age of 35 years, who is having degree/certificate of,

- 1.5.1 Diploma / Vocational / Undergraduate / Postgraduate / Doctoral
- 1.5.2 Any dropout from school / institute / university

The innovation of the beneficiary should contribute towards either development or improvement of any product or process or service in existing or new fields; or should be a scalable business model with a potential to generate employment or wealth creation.

## **2. Institutional Mechanism and Implementation of the Policy:-**

### **2.1 A State-level Apex Committee (SLAC)**

A State-level Apex Committee (SLAC) will be responsible for providing guidance to steer the overall implementation and coordination of the Policy. SLAC will organize at least two meeting per year. The SLAC shall comprise the following members:

1	Hon'ble Minister - Technical Education Department	Chairperson
2	ACS/PS/Secretary, Technical Education Department	Vice-Chair
3	Secretary, Finance Department	Member
4	Secretary, Higher Education Department	Member
5	Secretary, School Education Department	Member
6	Director, Technical Education Department	Member Secretary
7	CEO, i-Hub Chhattisgarh	Member
8	Two Vice- Chancellors from State Universities and Two Vice- Chancellors from Private Universities	Invitee Members
9	Representative of Innovation Hub (i-Hub, Any State Representative as per availability.	Invitee Members
10	Representatives of CII and Yi	Invitee Members

## 2.2 The Policy Implementation Committee (PIC)

The Policy Implementation Committee (PIC) will be responsible for implementation of the SSIP and PIC will organize meeting quarterly. PIC shall comprise the following members:

1	ACS/PS/Secretary, Technical Education Department	Chairman
2	Representative of Secretary, Finance Department	Member
3	Director, Technical Education Department	Member Secretary
4	Director, Higher Education Department	Member
5	Director, School Education Department	Member
6	Representative of Two Vice- Chancellors from State Universities and Representative of Two Vice- Chancellors from Private Universities	Invitee Members
7	Representative of Innovation Hub (i-Hub), Any State.	Invitee Members
8	Representatives of two successful start-up	Invitee Members

An Expert Committee composed of industry persons, academicians, start-up nominated and members of PMU by the PIC for ascertaining progress of work for effective implementation of the Policy.

## 2.3 Project Management Unit (PMU)

Special Purpose Vehicle as State PMU (i-Hub Chhattisgarh) will be incorporated as Section- 8 Company under the Companies Act-2013 and it will be the nodal agency for the Policy implementation across the state. The SLAC shall direct the state PMU for realization of Goals and Objectives of the Policy. The Directorate of Technical Education will be responsible to implement the policy till the date of incorporation of the Section-8 Company as state PMU.

## 3. Interventions and Roles:-

Under the Policy, there will be key interventions at the various stakeholder levels to ensure further strengthening and nurturing of the comprehensive innovation ecosystem.

### **3.1 Interventions - State-level**

- 3.1.1 Establishment of PMU for implementing the Policy goals.
- 3.1.2 Project Monitoring Unit (PMU) (Special Purpose Vehicle as separate Section-8 Company) will solely be dedicated to drive and implement policy at grassroots level.
- 3.1.3 Operational guidelines to implement the Policy will be issued as per the approval from the SLAC.
- 3.1.4 State level events, outreach and awareness activities and large-scale capacity building of stakeholders.
- 3.1.5 Creation of programs, avenues, and platforms for exposure.
- 3.1.6 Development of knowledge resource pool and cohort community.
- 3.1.7 Formulation of mentorship programs with Academic and Industry mentors or sector experts.
- 3.1.8 Infrastructure, Co-creation, and collaboration support.
- 3.1.9 Direct Beneficiary Transfer (DBT) for release of funds to Beneficiaries.
- 3.1.10 Ensure grant disbursements within 45-60 days.
- 3.1.11 Ensure the entire Startup Seed Support grant be disbursed in maximum 2 installments of 70:30 based on the progress.
- 3.1.12 Exposure and participation for flagship programs at national and international level.
- 3.1.13 Intellectual Property (IP) Grant will be released 100% to the beneficiaries at once.

### **3.2 Roles**

#### **3.2.1 Project Management Unit**

- 3.2.1.1 Large scale state level initiatives like Hackathons, innovation boot camps, state and regional innovation & Start-up festivals, state level innovation and Start-up awards and similar interventions.
- 3.2.1.2 All the support systems across universities, incubators, innovation centers will be connected at the State level and PMU will curate collaboration and co-creation involving them. Any innovator/Start-up who wishes to avail the above facilities can access them with ease and agility.
- 3.2.1.3 The PMU will look after initiatives like capacity building of stakeholders, flagship programs aimed at harnessing innovation potential students from Technical Institutes, Arts, Commerce & Science stream students, benchmarking of Innovation and Start-up efforts across Universities and Institutes under higher & technical education, and handholding and assisting grantees under higher education in institutionalizing their innovation and Start-up endeavors.
- 3.2.1.4 Awards and recognition to stakeholders like educational institutes, teachers, and others for their outstanding contribution to inculcate an innovative mindset.
- 3.2.1.5 PMU would ensure systemized access to other schemes, R&D establishments, testing labs and programs at the State level
- 3.2.1.6 PMU will be responsible for the implementation of various programs.
- 3.2.1.7 PMU will act as the hub for hosting various sectoral incubation and accelerate programs to support Innovators/Start-ups post PoC/Prototype stage.
- 3.2.1.8 Seed Support Grant (UptoINR10 Lakhs) will assist deserving innovators and Start-ups to avail grant to further their innovation and will be executed by PMU. Screening committee composed of government officials, angel investors, industry persons, domain experts and successful Start-ups will periodically evaluate proposals for the same.

#### **3.2.2 Individual Beneficiaries**

- 3.2.2.1 Procurement of raw material, necessary services, components through competitive offers for developing PoC/Prototype/product/Start-up.
- 3.2.2.2 Periodic progress report sharing with PMU.

- 3.2.2.3 Make best possible efforts to translate the idea into a successful innovation or enterprise.
- 3.2.2.4 Adhere to the guidelines and protocols issued to avail the Policy benefits.
- 3.2.2.5 Acknowledge the receipt of the Policy support in their success journey.

**4. Financial Support Structure:-**

The yearly outlay of INR 10 Crores or as decided by SLAC would be received by the Special Purpose Vehicle (State PMU) and will work under the Directorate of Technical Education. This fund will be disbursed to the beneficiaries as per the provisions of the Policy. The table below shows the distribution of funds for various goals and objective of policy during the said period. The bifurcation of the funds are as per the heads mentioned below. The annual allocated budget if unspent can be used in subsequent years during the policy period.

**Budgetary Provisions for PMU (INR in Percentage):**

Head	Budget for duration of policy yearly basis in percentage (%)
PMU Operating Expenditure & Human Resource	25.0
State Level Programs	15.0
Start-up Seed Support Grant(250 Startups/Innovators) (Up to INR 10 Lakhs)	25.0
Idea/Proof of Concept(500 Ideas) (Up to INR 2.5 Lakhs)	25.0
IP Support, Capacity Building Programs & Related to Intellectual Property Training (500 IP Filings)	10.0
<b>Total</b>	<b>100%</b>

**4.1 Support to Individual Beneficiaries**

The support and financial provisions for individual beneficiaries satisfying eligibility criteria, are as per the Table below:

- 4.1.1 Exposure to Innovation Lab, Incubation Centers.
- 4.1.2 Large scale sensitization, events and programs for developing Scientific Mindset.
- 4.1.3 Collective/Community level support system and activities.
- 4.1.4 Capacity Building.
- 4.1.5 Maximum INR 2.50 Lakh for developing idea to Proof of Concept (PoC),
- 4.1.6 Maximum INR 10 Lakh for development of Prototype/Product/Go-to-Market support

**5. Intellectual Property (IP) Support:-**

The Union Cabinet has approved the National Intellectual Property Rights (IPR) Policy that shall lay the future roadmap for IPRs in India. Under the Policy, IPR strategies for academia with a special focus, provide various incentives including financial grants to support innovators. IPR supports provisioned under the Policy for all beneficiaries are listed in the Table below, subjected to approval of PIC.

Type of Intellectual Property(IP)	Support Provisioned (Up to) per work
-----------------------------------	--------------------------------------

Patents	INR 50,000 for Domestic, INR 1 Lakh for other countries
Copyrights	INR 8,000
Trademarks	INR 12,500
Industrial Design	INR 9,000
Plant Variety Registry	INR 33,000
Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Registry (SICLDR)	INR 15,000

The PMU will be responsible for assisting Beneficiaries in IP related activities. PMU will maintain a robust IP support system for innovators and Start-ups. The necessary guidelines for IP support will be issued by the PMU based on the recommendation of the Policy Implementation Committee (PIC) from time to time.

**6. Monitoring and Evaluation:-**

- 6.1.1 The PMU may review or / and scrutinize the fund utilized by the Beneficiaries for the disbursed funds.
- 6.1.2 The evaluation of performance of Beneficiaries would be done in agreement with implementation guidelines that will be released by the PMU in consultation with the Policy Implementation Committee (PIC).
- 6.1.3 The Policy Implementation Committee (PIC) shall review overall policy objectives and its implementation periodically.
- 6.1.4 If a beneficiary is found unable to deliver the desired outcomes, further release of grant shall be reconsidered.
- 6.1.5 The release of the grant after the first instalment and every subsequent instalment will be based on satisfactory implementation of the policy objectives.

**7. Interpretation and Ambiguity Resolution:-**

In case of any ambiguity or difficulty or query concerning interpretation and/or implementation of the Policy, the decision of the Policy Implementation Committee (PIC) with the approval of the State-level Apex Committee (SLAC) shall be final and binding for all.

The expenditure shall be booked from the date of commencement of the policy under the following budget head:

Demand Number: ...

Main Head: .....

Sub Head: .....

Sub-Sub Head: .....

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh

**Under Secretary  
Technical Education Department  
Government of Chhattisgarh**

## Acronyms

IPR	Intellectual Property Rights
KPI	Key Performance Indicator
MoU	Memorandum of Understanding
MVP	Minimal Viable Product
NEP	National Education Policy
NISP	National Innovation and Start-up Policy
PIC	Policy Implementation Committee
PMU	State Level Project Management Unit
PoC	Proof of Concept
SLAC	State-level Apex Committee
SSIP	Student Start-up and Innovation Policy

## Bibliography

1. National Education Policy, 2020, Ministry of Human Resource Development, Government of India
2. Startup India, <https://www.startupindia.gov.in/>
3. National Innovation and Startup Policy, 2019, Ministry of Human Resource Development, Government of India
4. Startup Policy AICTE, 2016, All India Council for Technical Education, Government of India, <https://www.aicte-india.org/downloads/Startup%20Policy.pdf>
5. Student Startup and Innovation Policy (SSIP), 2017, Education Department, Government of Gujarat
6. Guideline for Implementation of SSIP for Universities, Education Department, Government of Gujarat
7. Guideline for Implementation of SSIP for Institutes/Colleges, Education Department, Government of Gujarat
8. Intellectual Property Guidelines for Academia in Gujarat, 2018, Education Department, Government of Gujarat
9. <https://aim.gov.in/>
10. <https://www.igi-global.com/dictionary/higher-education-institution/13096>
11. <https://www.i-scoop.eu/industry-4-0/>
12. World Economic Forum (WEF), <https://www.weforum.org/>
13. <https://www.wipo.int/portal/en/index.html>
14. [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/intell\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intell_e.htm)

## छत्तीसगढ़ सरकार

### कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

#### प्रस्तावना

भारत में स्टार्ट-अप संस्कृति का लगातार विस्तार हो रहा है, जो विकास और रोजगार के इंजन के रूप में व्यापक मान्यता प्राप्त कर रही है। नवाचारों एवं क्षमता विकास प्रौद्योगिकियों के माध्यम से स्टार्ट-अप में प्रभावशाली समाधान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, इस प्रकार यह सामाजिक-आर्थिक विकास के वाहक के रूप में कार्य करता है और मानव जीवन को बदलता है। स्टार्ट-अप संस्कृति और आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण विकसित करने के लिए देश भर में नवाचार को बढ़ावा देना और प्रोत्साहन अनिवार्य है जो समाज के सभी स्तरों में व्याप्त है। भारत ने अपने शुरुआती दिनों से ही नवाचार और सुधार के महत्व को पहचाना है। भारत का संविधान अपने मौलिक कर्तव्यों के तहत अनुच्छेद 51 A (h) में वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद, जांच और सुधार की भावना विकसित करने के लिए कहता है और (j) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना है ताकि राष्ट्र लगातार प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके।

एक राष्ट्र के रूप में भारत को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र में से एक माना गया है और यह दुनिया भर में तीसरे सबसे बड़े स्टार्ट-अप हब के रूप में उभर रहा है। भारत सरकार ने पिछला एक दशक प्रत्येक नागरिक की रचनात्मक क्षमता को उजागर करने और समाज के हर वर्ग में नवाचार और उद्यमशीलता की भावना पैदा करने में व्यतीत किया है। भारत सरकार ने देश के युवाओं और शैक्षणिक संस्थानों को सशक्त बनाने की दिशा में अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम), स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया जैसी कई पहल प्रारंभ की है इस लक्ष्य को और मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने अब अपना प्राथमिक ध्यान नवाचार, रणनीति, निष्पादन और बाजार की क्षमता विकास के बीच एक व्यवस्थित संबंध विकसित करके देश भर में स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को संस्थागत बनाने पर केंद्रित किया है। इस दिशा में भारत सरकार ने राष्ट्रीय नवाचार और स्टार्ट-अप नीति 2019 (एनआईएसपी) प्रारंभ की है, जिसका उद्देश्य छात्रों को उपयुक्त अधोसंरचना के साथ सशक्त बनाना है जो विचार से लेकर व्यवसाय विकास एवं बाजार में प्रवेश रणनीति तक समन्वयव्यवस्थापित करने के लिए आवश्यक हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 ने नवाचार और उद्यमिता के माध्यम से शिक्षा जगत में युवाओं की रचनात्मक क्षमता का सही उपयोग करने पर पर्याप्त जोर दिया गया है। इस तरह की पहल का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में नवाचार और उद्यमशीलता संस्कृति को विकसित करना और बढ़ावा देना है।

छत्तीसगढ़ राज्य को नवाचार और स्टार्ट-अप क्षेत्र में विशिष्ट पहचान मिल रही है, साथ ही यह देश में अग्रणी बन गया है। राज्य के तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा छात्रों के लिए एक विशेष नीति प्रारंभ की जा रही है, जिसे छात्र स्टार्ट-अप और इनोवेशन नीति (2025-2030) के रूप में जाना जाएगा, जिससे विश्वविद्यालयों और संस्थानों में छात्रों के एक बड़े समूह के लिए नवाचार और उद्यमिता की उनकी क्षमता को विकसित और प्रोत्साहित किया जा सके। यह नीति छात्र नवप्रवर्तकों को समर्थन देने और विभिन्न हितधारकों को शामिल करने के लिए छात्र-केंद्रित आधार पर बनाई जा रही है।

छात्र स्टार्ट-अप और इनोवेशन नीति का उद्देश्य उभरते क्षेत्रों के साथ-साथ पारंपरिक और नए युग की प्रौद्योगिकी में नवाचार और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देना है। 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन की भारत की प्रतिज्ञा को प्राप्त करने की दिशा में स्वच्छ और हरित ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन में नवाचारों को प्रोत्साहित किया जाएगा। सेमी-कंडक्टर, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन, अपशिष्ट प्रबंधन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र भी केन्द्रित होंगे। हालाँकि, नीति का लक्ष्य सेक्टर नवाचारों और स्टार्ट-अप का समर्थन करना है।

तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा नीति को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ अपनी पहुंच का विस्तार किया जाएगा ताकि शुरू से अंत तक एक लचीला पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हो सके। नीति नवाचार, निष्पादन, व्यवसाय विकास और बाजार में प्रवेश के बीच प्रगतिशील संबंध स्थापित करती है। नीति समर्थन तंत्र को संस्थागत बनाती है जो छात्रों को उनकी उद्यमशीलता यात्रा के प्रत्येक चरण में उत्तरोत्तर सुविधा प्रदान करेगी।

## 1. छात्र स्टार्ट-अप और नवाचार नीति (SSIP):-

### 1.1 दृष्टिकोण (Vision)

राज्य की युवा आबादी को स्टार्ट-अप और नवाचार के माध्यम से अपनी रचनात्मक क्षमता को उजागर करने के लिए सशक्त बनाना ताकि वे आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की प्राप्ति की दिशा में सतत विकास और समावेशी विकास में योगदान करने में सक्षम हो सकें।

### 1.2 मिशन (Mission)

- 1.2.1 संपूर्ण शिक्षा जगत में छात्र-केंद्रित नवाचार, इनक्यूबेशन और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बनाना।
- 1.2.2 संस्थान और विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा के सभी स्तरों पर नवाचार और स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना।
- 1.2.3 राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में कार्यात्मक इनक्यूबेटर विकसित करना।
- 1.2.4 शिक्षा जगत में नवाचार और स्टार्ट-अप की खोज को प्रोत्साहित करना और उन्हें उद्योग, समाज और बड़े पैमाने पर राज्य के लिए अधिकतम मूल्य सृजन के लिए सक्षम करना।
- 1.2.5 शैक्षणिक संस्थानों की आंतरिक क्षमता का निर्माण और परामर्श प्रक्रियाओं को मजबूत करना।
- 1.2.6 बौद्धिक संपदा से संबंधित जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और बौद्धिक संपदा (आईपी) की पंजीकरण और अनुमोदन के लिए सुगम व्यवस्था बनाना।
- 1.2.7 पूर्व निर्धारित मुख्य प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) को ठीक करके प्रदर्शन विश्लेषण का एकीकृत तंत्र विकसित करना।
- 1.2.8 विभिन्न चरणों में छत्तीसगढ़ स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना।

### 1.3 लक्ष्य एवं उद्देश्य (5 वर्षों के लिए)

- 1.3.1 100 तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों को शामिल करते हुए 50,000 छात्रों को नवाचार और उद्यमिता के लिए जागरूक करना।
- 1.3.2 500 नवाचार आधारित अवधारणा का प्रमाण (POC) को समर्थन करना।
- 1.3.3 500 बौद्धिक संपदा (IP) फाइलिंग के लिए सहायता प्रदान करना।

- 1.3.4 लाभार्थियों के लिए एक मजबूत प्री इनक्यूबेशन सपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए राज्य में कम से कम 100 शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों की क्षमता का विकास करना।
- 1.3.5 150 छात्रों को स्टार्ट-अप/इनोवेटर्स और उन्नत स्तर के मौजूदा स्टार्ट-अप तैयार करने में सहयोग प्रदान करना।
- 1.3.6 250 स्टार्ट-अप/इनोवेटर्स (भौतिक और आभासी) को इनक्यूबेट करना और इनक्यूबेटेड स्टार्टअप्स को बीज अनुदान राशि (10 लाख रुपये तक) के रूप में अनुदान प्रदान करना।

#### 1.4 नीति अवधि

नीति की अवधि 01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक होगी।

#### 1.5 व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड

छत्तीसगढ़ में 35 वर्ष तक की आयु का कोई भी व्यक्ति/छात्र जो कि निम्न उपाधि/प्रमाण पत्र धारण करता हो, जैसे -

- 1.5.1 डिप्लोमा / व्यावसायिक पाठ्यक्रम / स्नातक / स्नातकोत्तर / डॉक्टरेट उपाधि।
- 1.5.2 स्कूल/संस्थान/विश्वविद्यालय से कोई भी शाला त्यागी छात्र।

लाभार्थी के नवाचार को मौजूदा या नए क्षेत्रों में किसी उत्पाद या प्रक्रिया या सेवा के विकास या सुधार में योगदान देना होगा एवं रोजगार या धन सृजन की क्षमता वाला एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल होना होगा।

#### 2. संस्थागत तंत्र और नीति का क्रियान्वयन:-

##### 2.1 राज्य-स्तरीय शीर्ष समिति (SLAC) का गठन

SSIP योजना के आधार पर वार्षिक योजना तैयार करने एवं विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए SLAC जिम्मेदार होगी एवं SLAC की प्रतिवर्ष में कम से कम दो बैठकें आयोजित की जानी होंगी। राज्य-स्तरीय शीर्ष समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

1	माननीय मंत्री जी - तकनीकी शिक्षा विभाग	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग	उपाध्यक्ष
3	सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
4	सचिव, उच्च शिक्षा विभाग	सदस्य
5	सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग	सदस्य
6	संचालक, तकनीकी शिक्षा विभाग	सदस्य सचिव
7	मुख्य कार्यपालन अधिकारी इनोवेशन हब छत्तीसगढ़ (CEO, i-Hub CG)	सदस्य
8	राज्य के शासकीय विश्वविद्यालयों से दो कुलपति और निजी विश्वविद्यालयों के दो कुलपति	आमंत्रित सदस्य
9	अन्य राज्य से इनोवेशन हब (i-Hub) के प्रतिनिधि	आमंत्रित सदस्य
10	CII और Yi के प्रतिनिधि	आमंत्रित सदस्य

## 2.2 नीति क्रियान्वयन समिति (PIC) का गठन

SSIP योजना के क्रियान्वयन हेतु नीति क्रियान्वयन समिति (PIC) जिम्मेदार होगी एवं नीति क्रियान्वयन समिति की बैठक प्रति वर्ष त्रैमासिक आधार पर आयोजित की जावेगी तथा उक्त समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

1	अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग	अध्यक्ष
2	सचिव, वित्त विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
3	संचालक, तकनीकी शिक्षा विभाग	सदस्य सचिव
4	आयुक्त/संचालक, उच्च शिक्षा विभाग	सदस्य
5	संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय विभाग	सदस्य
6	राज्य के शासकीय विश्वविद्यालयों से दो कुलपति के प्रतिनिधि और निजी विश्वविद्यालयों के दो कुलपति के प्रतिनिधि	आमंत्रित सदस्य
7	अन्य राज्य से इनोवेशन हब (i-Hub) के प्रतिनिधि	आमंत्रित सदस्य
8	दो सफल स्टार्ट-अप के प्रतिनिधि (किसी भी राज्य से)	आमंत्रित सदस्य

नीति क्रियान्वयन समिति (PIC) एक उपसमिति का गठन करेगी जिसमें नामित उद्योग के व्यक्तियों, शिक्षाविदों एवं छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित सफल स्टार्ट-अप के प्रतिनिधि तथा PMU के सदस्य शामिल होंगे। यह उपसमिति i-Hub द्वारा पोषित नवाचार परियोजना के प्रगति की समीक्षा करेगी।

## 2.3 राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU)

राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU)के रूप में विशेष प्रयोजन वाहक को कंपनी अधिनियम-2013 के तहत धारा-8 कंपनी के रूप में शामिल किया जाएगा और यह राज्य भर में नीति क्रियान्वयन के लिए शीर्ष एजेंसी होगी। राज्य-स्तरीय शीर्ष समिति, योजना के लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई को निर्देशित करेगा। तकनीकी शिक्षा संचालनालय सेक्शन-8 कंपनी को परियोजना प्रबंधन इकाई के रूप में शामिल करने की तिथि तक नीति को लागू करने के लिए जिम्मेदार होगा।

## 3. नियंत्रण एवं भूमिकाएँ:-

SSIP नीति के तहत, व्यापक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर महत्वपूर्ण कार्यभागिता होगी।

### 3.1 नियंत्रण - राज्य स्तरीय

- 3.1.1 नीतिगत लक्ष्यों को लागू करने के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) होगी।
- 3.1.2 परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) (धारा-8 कंपनी के रूप में विशेष प्रयोजन वाहक) जमीनी स्तर पर नीति को संचालित और लागू करने के लिए समर्पित होगी।
- 3.1.3 नीति को लागू करने के लिए परिचालन दिशानिर्देश राज्य-स्तरीय शीर्ष समिति से अनुमोदन से जारी किए जाएंगे।

- 3.1.4 राज्य स्तरीय कार्यक्रम, पहुँच और जागरूकता गतिविधियाँ एवं हितधारकों की बड़े पैमाने पर क्षमता का विकास किया जायेगा।
- 3.1.5 प्रदर्शन के लिए कार्यक्रमों, दिशा और आधारभूत अधोसंरचना के निर्माण में सहयोग किया जायेगा।
- 3.1.6 सामुदायिक विकास के लिए ज्ञान संवर्धन हेतु संसाधन उपलब्ध कराया जायेगा।
- 3.1.7 अकादमिक और उद्योग सलाहकारों या क्षेत्र विशेषज्ञों के साथ परामर्श कार्यक्रम तैयार किये जायेंगे।
- 3.1.8 बुनियादी ढाँचा, सह-निर्माण और सहयोग में समर्थन किया जायेगा।
- 3.1.9 लाभार्थियों को धनराशि जारी करने के लिए प्रत्यक्ष लाभार्थी हस्तांतरण (डीबीटी) को लागू किया जायेगा।
- 3.1.10 45-60 दिनों के भीतर अनुदान वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3.1.11 संपूर्ण स्टार्टअप बीज सहायता अनुदान प्रगति के आधार पर 70:30 की अधिकतम 2 किस्तों में वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3.1.12 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख कार्यक्रमों के लिए भ्रमण और भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
- 3.1.13 लाभार्थियों को बौद्धिक संपदा (आईपी) अनुदान एक ही बार में 100% जारी किया जायेगा।

## 3.2 भूमिकाएँ

### 3.2.1 परियोजना प्रबंधन इकाई

- 3.2.1.1 बड़े पैमाने पर राज्य स्तरीय पहल जैसे हैकथॉन, इनोवेशन बूट कैंप, राज्य और क्षेत्रीय नवाचार और स्टार्ट-अप उत्सव, राज्य स्तरीय नवाचार और स्टार्ट-अप पुरस्कार को बढ़ावा देना।
- 3.2.1.2 विश्वविद्यालयों, इनक्यूबेटरों, नवाचार केंद्रों में सभी सहायता प्रणालियों को राज्य स्तर पर जोड़ा जाएगा और परियोजना प्रबंधन इकाई उन्हें शामिल करते हुए सहयोग करेगा। ताकि जो भी इनोवेटर/स्टार्ट-अप उपरोक्त सुविधाओं का लाभ उठाना चाहता है, वह आसानी और शीघ्रता के साथ उन तक पहुंच सकेगा।
- 3.2.1.3 परियोजना प्रबंधन इकाई हितधारकों की क्षमता निर्माण, तकनीकी संस्थानों, कला, वाणिज्य और विज्ञान के छात्रों के नवाचार एवं प्रमुख कार्यक्रमों, तकनीकी शिक्षा के तहत विश्वविद्यालयों और संस्थानों में नवाचार और स्टार्ट-अप प्रयासों के मानदंड जैसी पहल की देखभाल करेगा और तकनीकी शिक्षा के तहत अनुदान प्राप्तकर्ताओं को उनके नवाचार और स्टार्ट-अप प्रयासों को संस्थागत बनाने में मदद करेगा।
- 3.2.1.4 आधुनिक विचार विकसित करने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए शैक्षणिक संस्थानों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों को पुरस्कार और मान्यता प्रदान करेगा।
- 3.2.1.5 परियोजना प्रबंधन इकाई राज्य स्तर पर अन्य योजनाओं, अनुसंधान, विकास प्रतिष्ठानों एवं परीक्षण प्रयोगशालाओं और कार्यक्रमों तक व्यवस्थित पहुंच सुनिश्चित करेगी।
- 3.2.1.6 परियोजना प्रबंधन इकाई विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा।
- 3.2.1.7 परियोजना प्रबंधन इकाई अवधारणा का प्रमाण/प्रोटोटाइप चरण के बाद इनोवेटर्स/स्टार्ट-अप का समर्थन करने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय उर्जापूर्ण और त्वरित कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए केंद्र के रूप में कार्य करेगा।
- 3.2.1.8 बीज समर्थन अनुदान (10 लाख रुपये तक) योग्य नवप्रवर्तकों और स्टार्ट-अप को उनके नवाचार को आगे बढ़ाने में सहायता करेगा और इसे परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा निष्पादित किया जाएगा। सरकारी

अधिकारियों, एंजेल निवेशकों, उद्योग के व्यक्तियों, डोमेन विशेषज्ञों और सफल स्टार्ट-अप से बनी स्क्रीनिंग कमेटी समय-समय पर प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी।

### 3.2.2 व्यक्तिगत लाभार्थी

3.2.2.1 अवधारणा का प्रमाण/प्रोटोटाइप/उत्पाद/स्टार्ट-अप विकसित करने के लिए प्रतिस्पर्धी प्रस्तावों के माध्यम से कच्चे माल, आवश्यक सेवाओं, घटकों का क्रय करना।

3.2.2.2 परियोजना प्रबंधन इकाई के साथ आवधिक प्रगति रिपोर्ट साझा करना।

3.2.2.3 विचार को एक सफल नवाचार या उद्यम में बदलने के लिए सर्वोत्तम संभव प्रयास करना।

3.2.2.4 नीति का लाभ उठाने के लिए जारी दिशानिर्देशों और प्रोटोकॉल का पालन करना।

3.2.2.5 उनकी सफलता की यात्रा में नीति समर्थन की प्राप्ति को स्वीकार करना।

### 4. वित्तीय सहायता संरचना:-

10 करोड़ रुपये का वार्षिक परिव्यय या जैसा कि राज्य-स्तरीय शीर्ष समिति द्वारा तय किया जायेगा, विशेष प्रयोजन वाहक (राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई) द्वारा प्राप्त किया जाएगा और तकनीकी शिक्षा संचालनालय के मार्गदर्शन में कार्य करेगा। यह धनराशि नीति के प्रावधानों के अनुसार लाभार्थियों को वितरित की जाएगी। नीचे दी गई तालिका अनुसार उक्त अवधि के दौरान नीति के विभिन्न लक्ष्यों और उद्देश्यों के लिए धन के वितरण को दर्शाती है। निधियों का विभाजन नीचे उल्लिखित शीर्षों के अनुसार है। वार्षिक आवंटित बजट यदि खर्च नहीं हुआ है तो नीति अवधि के दौरान अगले वर्षों में उपयोग किया जा सकता है।

परियोजना प्रबंधन इकाई के लिए बजटीय प्रावधान (प्रतिशत में):

शीर्ष	नीति के क्रियान्वयन हेतु वार्षिक बजट शीर्ष अनुसार प्रतिशत में (%)
परियोजना प्रबंधन इकाईपरिचालन व्यय और मानव संसाधन	25.0
राज्य स्तरीय कार्यक्रम	15.0
स्टार्ट-अप बीज सहायता अनुदान (250 स्टार्टअप/इनोवेटर्स) (10 लाख रुपये तक)	25.0
आइडिया/अवधारणा का प्रमाण (500 विचार) (2.5 लाख रुपये तक)	25.0
आईपी समर्थन, क्षमता निर्माण कार्यक्रम और बौद्धिक संपदा प्रशिक्षण से संबंधित (500 आईपी का पंजीकरण)	10.0
<b>कुल</b>	<b>100%</b>

### 4.1 व्यक्तिगत लाभार्थियों को सहायता

पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए सहायता और वित्तीय प्रावधान निम्नानुसार हैं:

4.1.1 इनोवेशन लैब, इनक्यूबेशन सेंटरों का भ्रमण कराया जायेगा।

4.1.2 वैज्ञानिक तर्क विकसित करने के लिए बड़े पैमाने पर संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

4.1.3 सामूहिक/सामुदायिक स्तर की सहायता प्रणाली और गतिविधियाँ का संचालन किया जायेगा।

4.1.4 क्षमता विकास में सहयोग प्रदान किया जायेगा।

4.1.5 अवधारणा का प्रमाण हेतु विचार विकसित करने के लिए अधिकतम 2.50 लाख की राशि प्रदाय की जावेगी।

4.1.6 प्रोटोटाइप/उत्पाद/बाजार पर जाने के समर्थन के विकास के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये प्रदाय की जायेंगे।

#### 5. बौद्धिक संपदा (आईपी) समर्थन:-

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) नीति को मंजूरी दे दी है जो भारत में आईपीआर के लिए भविष्य का रोडमैप तैयार करेगी। नीति के तहत विशेष ध्यान देते हुए शिक्षा जगत के लिए आईपीआर रणनीतियाँ, नवप्रवर्तकों को समर्थन देने के लिए वित्तीय अनुदान सहित विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करेगी। सभी लाभार्थियों के लिए प्रावधानित आईपीआर का समर्थन, नीति का क्रियान्वयन समिति (PIC) के अनुमोदन के आधार पर निम्नानुसार होगा।

बौद्धिक संपदा का प्रकार (आईपी)	समर्थन का प्रावधान (अधिकतम)/प्रति कार्य (रूपये में)
पेटेंट	राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकरण हेतु 50,000/- और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकरण हेतु 1 लाख रुपये
कॉपीराइट	8,000/-
ट्रेडमार्क	12,000 /-
औद्योगिक डिजाइन	9,000 /-
उद्योग विविधता रजिस्ट्री	33,000 /-
सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट-डिजाइन रजिस्ट्री	15,000 /-

परियोजना प्रबंधन इकाई, बौद्धिक संपदा से संबंधित गतिविधियों में लाभार्थियों की सहायता के लिए जिम्मेदार होगा एवं स्टार्ट-अप के लिए एक मजबूत बौद्धिक संपदा सहायता तंत्र बनाए रखेगा। बौद्धिक संपदा समर्थन के लिए आवश्यक दिशानिर्देश, समय-समय पर नीति क्रियान्वयन समिति (PIC) की सिफारिश के आधार पर परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा जारी किए जाएंगे।

#### 6. निगरानी और मूल्यांकन:-

6.1 नीति क्रियान्वयन समिति (PIC) की अनुशंसा के आधार पर परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) लाभार्थियों को धनराशि वितरित करेगा एवं लाभार्थियों द्वारा उपयोग किए गए राशि की समीक्षा करेगा।

6.2 लाभार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन क्रियान्वयन दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाएगा जो नीति क्रियान्वयन समिति (पीआईसी) के परामर्श से परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा जारी किए जाएंगे।

6.3 नीति क्रियान्वयन समिति (पीआईसी) समय-समय पर समग्र नीति उद्देश्यों और इसके क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी।

6.4 यदि कोई लाभार्थी वांछित परिणाम देने में असमर्थ पाया जाता है, तो अनुदान जारी करने पर पुनर्विचार किया जाएगा।

6.5 पहली किस्त के बाद और प्रत्येक अगली किस्त का अनुदान नीतिगत उद्देश्यों के संतोषजनक क्रियान्वयन पर आधारित होगा।

#### 7. व्याख्या और अस्पष्टता समाधान:-

नीति की व्याख्या एवं क्रियान्वयन से संबंधित किसी भी अस्पष्टता/संदेह या विवाद की स्थिति में, राज्य स्तरीय शीर्ष समिति (SLAC) के अनुमोदन से नीति क्रियान्वयन समिति (PIC) का निर्णय अंतिम और सभी के लिए बाध्यकारी होगा।

व्यय को निम्नलिखित बजट शीर्ष के तहत नीति के प्रारंभ होने की तारीख से दर्ज किया जाएगा:

मांग संख्या:...

मुख्य शीर्षक: .....

उपशीर्ष: .....

उप-उप प्रमुख: .....

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के आदेशानुसार एवं नाम से

अवर सचिव  
तकनीकी शिक्षा विभाग  
छत्तीसगढ़ सरकार

परिभाषाए

IPR	बौद्धिक संपदा अधिकार
KPI	प्रमुख प्रदर्शन संकेतक
MOU	समझौता ज्ञापन
MVP	न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद
NEP	राष्ट्रीय शिक्षा नीति
NISP	राष्ट्रीय नवाचार और स्टार्ट-अप नीति
PIC	नीति क्रियान्वयन समिति
PMU	परियोजना प्रबंधन इकाई
POUC	अवधारणा का प्रमाण
SLAC	राज्य स्तरीय शीर्ष समिति
SSIP	छात्र स्टार्ट-अप और नवाचार नीति

## ग्रंथ सूची

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
2. Startup India, <https://www.startupindia.gov.in/>
3. राष्ट्रीय नवाचार एवं स्टार्टअप नीति, 2019, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
4. स्टार्टअप नीति एआईसीटीई, 2016, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारत सरकार, <https://www.aicte-india.org/downloads/Startup%20Policy.pdf>
5. छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति (एसएसआईपी), 2017, शिक्षा विभाग, गुजरात सरकार
6. विश्वविद्यालयों, शिक्षा विभाग, गुजरात सरकार के लिए एसएसआईपी के क्रियान्वयन के लिए दिशानिर्देश
7. संस्थानों/कॉलेजों के लिए एसएसआईपी के क्रियान्वयन के लिए दिशानिर्देश, शिक्षा विभाग, गुजरात सरकार
8. गुजरात में शिक्षा के लिए बौद्धिक संपदा दिशानिर्देश, 2018, शिक्षा विभाग, गुजरात सरकार
9. <https://aim.gov.in/>
10. <https://www.igi-global.com/dictionary/higher-education-institution/13096>
11. <https://www.i-scoop.eu/industry-4-0/>
12. World Economic Forum (WEF), <https://www.weforum.org/>
13. <https://www.wipo.int/portal/en/index.html>
14. [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/intell\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intell_e.htm)